न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 11/2008

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2008/00029

वादी	प्रतिवादीगण
सांवलदान वल्द मोड़दान, कौम–चारण, निवासी–जाजूसन, तहसील–सांचौर, जिला–जालोर	1 वजा पुत्र करमसी 2 चेला पुत्र करमसी कौम–कलबी, साकिनान्–जाजूसन 3 हाजा पुत्र करमसी के कायम मुकाम अ–तुलसाराम पुत्र हाजा ब–रामेश्वरराम पुत्र हाजा स–नरेश कुमार पुत्र हाजा द–दरगा देवी बैवा हाजा कौम–कलबी, साकिनान्–जाजूसन तहसील–सांचौर, जिला–जालोर 4 सरकार जरिये, तहसीलदार सांचौर 5 सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) भारतमाला परियोजना सांचौर

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 02.02.2008

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 के कायम मुकाम अ से द की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 एकपक्षीय।

:– निर्णय :– दिनांक :– 05.03.2026

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा जाजूसन में पुराना खेत खसरा संख्या 05 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 145/9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा मुझ वादी के दादा प्रभुदान पुत्र पूरदान, कौम–चारण की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा थी तत्पश्चात उक्त भूमि मेरे दादा की मृत्यु के पश्चात पिता मोड़दान के नाम दर्ज हुई एवं वर्तमान में नवीन खसरान अनुसार उक्त भूमि मुझ वादी के नाम खातेदारी में है। पुराना खेत खसरा संख्या 05 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा का वर्तमान खसरा संख्या 07 एवं 07/379 है तथा पुराना खेत खसरा संख्या 145/9 का वर्तमान खसरा संख्या 24 है। पुराना खेत खसरा संख्या 05 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा का पुराना ट्रैश नक्शा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर

प्रस्तुत किया जा रहा है। मौके पर कब्जा अनुसार तथा पुराना नक्शा अनुसार उत्तर में राजस्व ऐजेन्सी द्वारा पुराने पत्थर (सरकारी चिन्ह) के पश्चिम में लिखित अंक 25 से माठ दक्षिण में अंक 09 तक दर्शायी हुई है जिसका नक्शा प्रदर्श 'अ' प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अनुसार भूमि मुझ वादी के दादा प्रभुदान के खुद काश्त में थी जो लगातार आज दिन तक मुझ वादी के कब्जे एवं काश्त में चली आ रही है। द्वितीय पैमाईश में हुई तथाकथित भूल का मुझ वादी को पूर्व में अभिज्ञान नहीं था। हल्का पटवारी से मालुमात होने पर सारी प्रमाणित नकले प्राप्त करने पर पुख्ता तौर से अभिज्ञान हुआ है। बिनायवाद वांके सरहद मौजा जाजूसन का पुराना खेत खसरा संख्या 05 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा जिनके नवीन खसरा संख्या 7 रकबा 3.42 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.64 हैक्टेयर भूमि पर मुझ वादी का मेरे दादा प्रभूदान के समय से लगातार आज दिन तक कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में से रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि जिसके नवीन खसरा संख्या 07/379 बेसी रकबा निकालकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम अमीन ने प्रतिवादीगण से मिलावट कर दर्ज कर दिया है जो गलत है। इसी प्रकार खसरा संख्या 145/09 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा जिसका रकबा 1.86 हैक्टेयर होना चाहिए किन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि मुझ वादी के नाम रकबा 0.13 हैक्टेयर कम दर्शाते हुए रकबा 1.73 हैक्टैयर दर्ज की गई जो गलत है। इस बात का मुझ वादी को अभिज्ञान होने पर दावा हाजा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार बिनायवाद बमुकाम जाजूसन पैदा हुआ। मुखास्मात तारीख दावे से है। खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टैयर में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 न तो स्वयं नुक्शअमन या वादी के कब्जे काश्त में उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें एवं न ही किसी अन्य से करावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

उक्त वाद दिनांक 02.05.2008 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 उपस्थित आये तथा जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 05, 145/9 को अपने दादा पुश्तैनी वर्णित की है लेकिन उसके समर्थन में दस्तावेज व कुर्सीनामा वर्णित नहीं किया है। कुर्सीनामा प्रस्तुत कर प्रभूदान के कितने वारिसदान थे, स्पष्ट करना आवश्यक है तथा उक्त आराजी वादी के पिता को किस प्रकार हकूक उत्पन्न हुए स्पष्ट नहीं है तथा मोड़दान के कितने लड़के है, उसमें भी किसी प्रकार का स्पष्ट नहीं किया है। वादी को भिन्न–भिन्न दस्तावेज के जरिये किस प्रकार हकूक उत्पन्न होते है, वादी दस्तावेजों व साक्ष्यों से साबित करे। वादी ने खसरा नंबर 05 से नये खसरा नंबर 07 व 07/379 बनना गलत बताया है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 07/379 पुराने खसरा नंबर 4 से बने है जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का है। वादी ने नक्शा परिशिष्ठ 'अ' गलत बनाकर प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी प्रभुदान की खुद काश्त की होना वादी साबित करे। वादी ने खसरा नंबर 05 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा से नये खसरा नंबर 07/379 का रकबा 0.22

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

हैक्टेयर बनना गलत बताया है तथा इस जमीन को बेसी जमीन का होना भी गलत बताया है। उक्त नवीन खसरा नंबर 07/379 प्रतिवादीगण का नवीन नम्बर है जो मौका हालत से भी स्पष्ट है तथा नवीन नक्शे से भी स्पष्ट है तथा वर्तमान में मौके पर कब्जा भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का है। वर्तमान खसरा नंबर 07/379 का पुराने खसरा नंबर 05 के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वादी खसरा नंबर 07/379 की खातेदारी घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद सारहीन, बलहीन एवं मनगंढत तथ्यों पर आधारित होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

वादी की ओर से गवाह पीडब्ल्यू–1 सांवलदान, पीडब्ल्यू–2 हुकमसिंह, पीडब्ल्यू–3 हाजाराम, पीडब्ल्यू–4 रतनदान के बयान लेखबद्व किये गये तथा वादी की ओर से प्रदर्श–1 से प्रदर्श–38 तक दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये गये।

प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की गई।

प्रकरण में उभयपक्षकारान् के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वांके सरहद जाजूसन का पुराना खेत खसरा संख्या 5 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा जिसका नवीन खसरा संख्या 7 रकबा 3.42 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.64 हैक्टेयर भूमि पर वादी का कब्जा वादी के दादा प्रभुदान से लगाकर आज दिन तक चला आ रहा है। यह भूमि जागीरी से वादी के खुदकाश्त की थी इस दौरान इस भूमि में से रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि बेसी रकबा की निकली जिस पर कब्जा वादी का था किन्तु अमीन ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 से मिलावट कर उक्त भूमि बेसी रकबा 0.22 हैक्टेयर की प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज कर दी जो गलत दर्ज कर दी। इस भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 कभी भी हकदार होने से खसरा संख्या पुराना 5 का ही भू–भाग होने से खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावें तथा उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण दखलंदाजी न करें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमावें व पुराना खसरा संख्या 145/9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा का कुल रकबा 1.86 हैक्टेयर भूमि का है परन्तु रकबा 1.73 हैक्टेयर द्वितीय सेटलमेंट में कर दिया है जो खसरा संख्या 24 का रकबा 1.86 हैक्टेयर किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में अपने जवाबदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी ने खसरा संख्या 5 से नये खसरा संख्या 07 व 07/379 बनना गलत बताया है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार खसरा संख्या 07/379 पुराने खसरा संख्या 4 से बने है जो प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का है। वादी ने नक्शा परिशिष्ट 'अ' गलत बनाकर प्रस्तुत किया है। प्रभुदान की खुद काश्त की होना वादी साबित करें। नवीन खसरा संख्या 07/379 प्रतिवादीगण का नवीन नम्बर है जो मौका हालत से भी स्पष्ट है तथा नवीन नक्शे से भी स्पष्ट है तथा वर्तमान में

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

मौके पर कब्जा भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का है। वर्तमान खसरा संख्या 07/379 का पुराने खसरा संख्या 5 के साथ कोई संबंध नहीं है। वादी खसरा संख्या 07/379 की खातेदारी घोषित व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का हकदार नहीं होने से वादी का वाद खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी तथा दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का व साक्ष्यों का गहनता से भलीभांति अध्ययन व अवलोकन किया गया तथा तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है।

<u>तनकी संख्या 01</u> :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादी पर है। वादी ने अपने वादपत्र में उल्लेखित किया है कि वांके सरहद जाजूसन का पुराना खसरा संख्या 5 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा जिसका नवीन खसरा संख्या 7 रकबा 3.42 हैक्टेयर व खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.64 हैक्टेयर है। इस प्रकार खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर पुराना खसरा संख्या 5 का भू–भाग है। इसके संबंध में वादी ने प्रदर्श पी 9 व 10 मिलान क्षैत्रफल पेश किया जिसके अनुसार पुराना खसरा संख्या 5 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा से नवीन खसरा संख्या 7 रकबा 3.42 हैक्टेयर नवसृजित हुए है तथा पुराना खसरा संख्या 4मी से नवीन खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर सृजित हुए है। प्रदर्श पी–31 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 के खाता संख्या 11 में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि वजिया, बेलिओ, हाजी पिसरान करमसी कौम कलबी, साकिन देह खातदोर दर्ज है तथा इसी प्रकार प्रदर्श–पी 7 जमाबंदी संवत् 2061 से 2064 के नया खाता संख्या 105 में खेत खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि वजा, चेला, हाजा पिसरान करमसी, कौम–कलबी सा.देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि नवीन खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर है पुराना खसरा संख्या 5 का भू–भाग न होकर पुराना खसरा संख्या 4 का भू–भाग है क्योंकि पुराना खसरा संख्या 5 रकबा 21 बीघा 3 बिस्वा से नवीन खसरा संख्या 7 रकबा 3.42 हैक्टेयर नवसृजित हुए है तथा पुराना खसरा संख्या व नया खसरा संख्या का रकबा भी बराबर है जबकि पुराना खसरा संख्या 4 रकबा 20 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम प्रथम सेटलमेंट से लगातार चली आ रही है जो प्रदर्श पी–31 व प्रदर्श पी–7 जमाबंदी से स्पष्ट है। नया खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर पुराना खसरा संख्या 5 का भू–भाग होने के संबंध में वादी ने ऐसा एक भी दस्तावेजात् पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि नया खसरा संख्या 07/379 पुराना खसरा संख्या 5 का भू–भाग है जबकि वादी द्वारा पेश प्रदर्श पी–7 जमाबंदी संवत् 2061–2064, प्रदर्श पी–31 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012–2031, व प्रदर्श पी–9 व 10 मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है कि नया खसरा संख्या 07/379 पुराना खसरा संख्या 4 का भू–भाग है तथा वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 07/379 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी आराजी है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार नया खसरा संख्या 07/379 पुराना खसरा संख्या 5 का भू–भाग होने बाबत्

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

उक्त तनकी वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02 :–</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी पर है। वादी सांवलदान ने वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर पुराना खसरा संख्या 5 का भू–भाग होने बाबत् एक भी दस्तावेज पेश नहीं करने से तनकी संख्या 1 अनुसार खसरा संख्या 07/379 रकबा 0.22 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम घोषित करने संबंधित वादी के विरूद्व तय की जाने से तथा उक्त आराजी पर वादी का कब्जा होने बाबत् भी कोई दस्तावेजात् पेश नहीं करने से स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादी के पक्ष में नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 02 वादी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से तनकी संख्या 02 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 03 :–</u> उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा वादी पर है। वादी ने खसरा संख्या 24 रकबा 1.73 हैक्टेयर के स्थान पर 1.86 हैक्टेयर की मांग की है। प्रदर्श पी–9 मिलान क्षैत्रफल अनुसार पुराना खसरा संख्या 145/9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा से नवीन खसरा संख्या 173 रकबा 1.73 हैक्टेयर नवसृजित हुए है तथा पुराना रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा अनुसार वर्तमान रकबा 1.86 हैक्टेयर अवश्य बनता है तथा यह भी स्पष्ट है कि पुराने रकबे अनुसार द्वितीय सेटलमेंट अधिकारी ने नये खसरा संख्या सृजित करते समय रकबा बराबर न कर कम किया है। इस प्रकार प्रदर्श पी–6 जमाबंदी संवत् 2061–2064 के नया खाता संख्या 123 अनुसार खसरा संख्या 24 रकबा 1.73 हैक्टेयर भूमि सांवलदान वल्द मोड़दान, कौम–चारण, सा.देह खातेदार दर्ज है जो वादी के नाम की है, परन्तु वादी ने अपने वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि पुराना खसरा संख्या 145/9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के बराबर रकबा 0.13 हैक्टेयर कम किया है तथा किस आराजी में से 0.13 हैक्टेयर भूमि कम कर वादी के खाते में दर्ज की जावें। प्रार्थी के खेत में से सड़क हेतु भूमि भी अवाप्त की गई है, परन्तु वादी ने इस बाबत् भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए है। इस प्रकार वादी के खाते में रकबा 0.13 हैक्टेयर कम दर्ज अवश्य हुई है परन्तु रकबा 0.13 हैक्टेयर किस खाते में से कम कर वादी के खाते में जोड़ी जावें, वादी ने स्पष्ट नहीं किया होने से तनकी संख्या 03 वादी अपने पक्ष में साबित करने असफल रहने से तनकी संख्या 03 वादी विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04 :–</u> उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है परन्तु प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर न तो साक्ष्य करवाये है तथा न ही दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये है परन्तु वादी ने तनकी संख्या 01 व 02 अपने पक्ष में साबित करवाने में असफल रहने से तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के विरूद्व व वादी के पक्ष ामें साबित करना उचित प्रतीत नहीं होने से तनकी संख्या 4 वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 05 :–</u> उक्त तनकी को सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में तथ्य उल्लेखित किया है कि खसरा संख्या 145/9 का

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

रकबा 0.13 हैक्टेयर जमीन सड़क में जाने व धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से साबित होने से खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती है परन्तु प्रतिवादी ने उक्त तथ्य को साबित करने के संबंध में न तो न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य करवाये है तथा न ही दस्तावेज प्रदर्शित करवाये है परन्तु तनकी संख्या 3 अनुसार पुराना खसरा संख्या 145/9 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा से नवीन खसरा संख्या 24 रकबा 1.86 हैक्टेयर सृजित न होकर रकबा 1.73 हैक्टेयर सृजित किया होने से खसरा संख्या 24 का रकबा 1.73 हैक्टेयर के बजाय 1.86 हैक्टेयर किया जाने बाबत् वादी ने इस्तदुआ चाही थी परन्तु उपरोक्तानुसार तनकी संख्या 3 वादी अपने पक्ष में साबित करवाने में असफल रहने से तनकी संख्या 5 भी वादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन से वादी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत वाद स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

:— आदेश —:

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी द्वारा पेश वाद धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन् करे। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नंबर से एक कस की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक **05.03.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

सहायक कलेक्टर फास्ट–
ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर